

प्रेस नोट

जनपद रामपुर

दिनांक 03.11.2020

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर द्वारा जनपद रामपुर में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही

सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर द्वारा तहसील टाण्डा में सुनी गई फरियादियों की समस्याएं- आज दिनांक 03-11-2020 को सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक रामपुर श्री शगुन गौतम द्वारा तहसील टाण्डा में फरियादियों की समस्या को सुना गया तथा संबंधित को उनकी समस्या के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री शगुन गौतम द्वारा जनपद के देहात क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की सघन चैकिंग की गयी जनपद में कुल 12 वाहन सीज, 468 वाहनों का चालान, 232900 का समन शुल्क तथा कोविड-19 के दृष्टिगत 166 व्यक्तियों से 57700 रुपये का समन शुल्क वसूला गया-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री शगुन गौतम द्वारा देहात क्षेत्र के कस्बा टाण्डा में यातायात माह नवम्बर/आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की सघन चैकिंग की गयी। यातायात के नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों पर जुर्माना किया गया। साथ ही कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों से जुर्माना वसूला गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर द्वारा थाना टाण्डा क्षेत्र में चैकिंग के दौरान कुल- 11 वाहनों को सीज किया गया, 42 वाहनों का चालान किया गया, 40700 रुपये का समन शुल्क वसूला गया तथा कोविड-19 के दृष्टिगत बिना मास्क वाले 21 व्यक्तियों से 10500 रुपये का समन शुल्क वसूला गया।

इसके अतिरिक्त श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर के आदेशानुसार समस्त थाना प्रभारियों एवं यातायात प्रभारी द्वारा आगामी त्यौहारों को देखते हुए थाना

क्षेत्रों में भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की संघन चैकिंग की गयी। जनपद रामपुर में समस्त थानों पर एवं यातायात प्रभारी द्वारा कुल-426 वाहनों का चालान किया गया, वाहन चालकों से 192200 रूपये का समन शुल्क तथा 01 वाहन को सीज किया गया। कोविड-19 के दृष्टिगत बिना मास्क वाले 145 व्यक्तियों से 47200 रूपये का समन शुल्क वसूला गया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर के निकट पर्यवेक्षण में रामपुर पुलिस द्वारा जनपद के नगर व देहात क्षेत्रों में घूमकर महिलाओं व बालिकाओं को सम्बन्धित हैल्पलाइन नम्बर व कानून के विषय में दी जा रही है जानकारी-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री शगुन गौतम के निकट पर्यवेक्षण में अपर पुलिस अधीक्षक, रामपुर/नोडल अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 03-11-2020 को एंटी रोमियो स्काड प्रभारी सुश्री कंचन टोलिया मय टीम तथा थानों पर गठित एंटी रोमियो टीम द्वारा जनपद रामपुर के नगर व देहात क्षेत्रों में घूमकर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों, कानून के बारे में जानकारी देते हुए, वूमेन पावर लाइन-1090, महिला हेल्प डेस्क, घरेलू हिंसा हेल्पलाइन नंबर-181, पुलिस आपातकालीन प्रबन्धन प्रणाली परियोजना यू.पी.-112 के बारे में भी जानकारी दी जा रही है।

थाना गंज:-एनआरसी एवं नागरिकता संशोधन प्रकरण में 01 और अभियुक्त गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री शगुन गौतम द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री अरूण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03-11-2020 को थाना गंज पुलिस द्वारा एनआरसी एवं नागरिकता संशोधन प्रकरण में वाँछित चल रहा छोटे उर्फ अमीर अहमद पुत्र बब्बू निवासी मझरा ताशका थाना सिविल लाइन, रामपुर को मौहल्ला ताशका से गिरफ्तार कर कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना गंज, रामपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-832/19 धारा 147,148,149,143,186,188,336,436,427,353 भादवि व 3/4 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि0 व 7 सीएलए एक्ट में दिनांक 22-12-2019 से

वांछित चल रहा था।

थाना अजीमनगर:-नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने में 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 03-11-2020 को थाना अजीमनगर, रामपुर पुलिस द्वारा प्रमोद कुमार पुत्र रामलाल निवासी ग्राम हसमतगंज थाना अजीमनगर, रामपुर को जिठनिया बाजार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त थाना अजीमनगर, रामपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-264/20 धारा 363,366 भादवि व 16/17 पाँक्सो एक्ट के अभियोग में दिनांक 19-09-2020 से वांछित चल रहा था। पुलिस द्वारा पूर्व में अपहृता को बरामद कर लिया गया था।

थाना मिलक:- घर में घुसकर छेडछाड करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार-

अभियुक्त भूपराम उर्फ भूपसिंह पुत्र रामलाल निवासी ग्राम रहपुरा का मझरा थाना मिलक, रामपुर द्वारा थाना मिलक क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की के घर में घुसकर उसके साथ छेडछाड करने के सम्बन्ध में दिनांक 19-10-2020 को थाना मिलक, रामपुर पर मु0अ0सं0-401/20 धारा 452,354 भादवि व 7/8 पाँक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ था।

आज दिनांक 03-11-2020 को थाना मिलक पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वांछित चल रहा अभियुक्त भूपराम उर्फ भूपसिंह उपरोक्त को मौहल्ला नसीराबाद कस्बा मिलक से गिरफ्तार कर कार्यवाही की जा रही है।

थाना मिलक:- 01 अद् नाजायज तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 03-11-2020 को थाना मिलक, रामपुर पुलिस द्वारा देवेन्द्र कुमार पुत्र बेनीराम निवासी ग्राम परम थाना मिलक, रामपुर को ग्राम परम की तरफ से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अद् नाजायज तमंचा 12 बोर मय 02 कारतूस जिन्दा 12 बोर बरामद हुए। इस सम्बन्ध में थाना मिलक पर मु0अ0सं0-433/20 धारा 3/25 आम्स एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना शाहबाद:- 01 अद् नाजायज तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 03-11-2020 को थाना शाहबाद, रामपुर पुलिस द्वारा आसिम पुत्र

नवीजान निवासी ग्राम ललवारा थाना शाहबाद, रामपुर को गहनी मोड़ से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अद् नाजायज तमंचा 315 बोर मय 02 कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद हुए। इस सम्बन्ध में थाना शाहबाद पर मु0अ0सं0-467/20 धारा 3/25 आम्स एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।